न्यायालयः–सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी –श्री नरेन्द्र कुमार मीणा

वाद सं0– 289/2016

उनवान मुकदमा

1. महन्त प्रेम गिरी चेला श्री श्री 108 गोपाल गिरि महन्त विजयानन्द मन्दिर श्री कालिका देवी, श्री महाकाली शक्ति पीठ अमरसर तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. नन्द किशोर सैनी पुत्र शंकरलाल सैनी, जाति माली, निवासी अमरसर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
2. हजारी लाल सैनीपुत्र धन्नाराम सैनी, जाति माली, निवासी ढाणी टीबावाली, तन अमरसर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
3. राजेन्द्र प्रसाद पाराशर पुत्र मोहनलाल, जाति पाराशर ब्राह्मण, निवासी बाकोलिया मौहल्ला अमरसर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
4. राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र बद्री नारायण जाति यादव, निवासी जुगराजपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज0)
5. रमेश कुमार पुत्र छिग्गन लाल जाति ब्राह्मण, निवासी करीरी, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर (राज0)

–प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत इस्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांकः–20.05.2019

दावा वादी संक्षेप में इस प्रकार पेश किया गया है कि आराजी खसरा नं0–1536 से 1541, 1546, 1547 कुल किता–8 रकबा 10.66 है0 वाकै ग्राम पठानो का बास पटवार हल्का अमरसर, तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर की खातेदारी वादी के गुरू श्री श्री 108 गोपाल गिरी महन्त विजयानन्द चेला औंकारेश्वर जी गिरी के नाम से अंकित है। ग्राम अमरसर से लगभग 5 कि.मी. की दूरी पर पहाडो में कालिका माता मन्दिर प्राचीन समय से मौजूद है जिसके

यक कलक्टर एव
क मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रक
जिला–जयपुर (राज)

Scanned by CamScanner

महन्त पूर्वकाल में गोपाल गिरी श्री महाराज महन्त विजयानन्द चेला औंकारेश्वर जी गिरी रहे थे जिन्होने लगभग-16-17 वर्ष पूर्व वादी को मन्दिर श्री जगदीश जी से लाकर स्वंय का चेला उत्तराधिकारी बना लिया था, इसके बाद वादी उन्हीं के साथ मन्दिर में रहकर सेवा पूजा करता रहा है। महन्त गोपाल गिरी जी ने अपने जीवन काल में दिनांक-12.02.2002 को 50-50/-रूपये के दो मुद्रांक पत्र स्वंय का एवं वादी का फोटो लगाकर वसीयतनामा साक्षीगण मोहनसिंह व फूलचन्द के सम्मुख निष्पादित करते हुए नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाया एवं एक मुख्त्यारनामा भी उन्होने आराजी खसरा नं0-1536 से1541, 1546, 1547 कुल रकबा 10.66 है0 की देखभाल आदि हेतु 100/-रूपये के मुद्रांक व सादा पेपर्स पर गवाहान राजेन्द्र 'शर्मा व मूलसिंह के सम्मुख दिनांक-21.03.2002 को निष्पादित करवाकर नोटेरी से प्रमाणित करवाया था।

दिनांक-14.01.2003 को गोपाल गिरी जी महाराज ग्राम अमरसर जाने की बात कहकर मन्दिर से निकले थे किन्तु वापस नहीं आये, उन्हे बहुत तलाश किया गया था किन्तु नहीं मिलने पर महन्त गोपाल गिरी महाराज की मृत्यु घोषित करवाने हेतु एक दावा मुकदमा नं0-01/2012 उनवानी महन्त प्रेमगिरी बनाम राज. सरकार बाबत उद्घोषणा विधिक रूप से मृत घोषित किये जाने माननीय सिविल न्यायाधीश (व.ख)शाहपुरा, जिला जयपुर में पेश किया था जिसमें माननीय न्यायालय ने श्री गोपाल गिरी महन्त विजयानन्द चेला औंकारेश्वर जी गिरी को दिनांक-14.05.2012 को मृत घोषित कर दिया, जिसका वादी ही एक मात्र स्व0 गोपालगिरी महन्त का उत्तराधिकारी है। वादी वर्णित भूमि मुतनाजा पर अपने गुरू श्री गोपालगिरी महन्त विजयानन्द केसमय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है उक्त भूमि मन्दिर मूर्ति श्री कालिका देवी महाकाली 'शक्ति पीठ के पास में है जिसका उपयोग मन्दिर के धार्मिक आयोजनो एवं गौ-सेवा, यज्ञ आदि में व समय पर काश्त कार्य आदि में अनुसार वादी ही करता आ रहा है वादी महन्त श्री गोपाल गिरी का विधिक अनुसार चेला है वादी को दिनांक-02.04.2009 को विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियो सन्तो, महन्तो के सम्मुख परम्परानुसार महान्ताशिप की चादर ओढाकर महाकाली 'शक्तिपीठ का महन्त भी नियुक्त कर दिया गया है जो दिनांक-12.02.2002 को की गई वसीयत व मुख्त्यारनामा दिनांक-21.02.2002 से प्रमाणित होता है

कलक्टर एवं
जस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक
ग-जयपुर (राज.)

मुख्त्यारनामा में यह भी अंकित किया गया है कि उनकी मृत्यु के पश्चात वादी चाहे तो वाद ग्रस्त भूमिकी जमाबंदी स्वंय के नाम करवा ले, उक्त स्थिति मृतक श्री गोपाल गिरी की अंतिम इच्छा के रूप में प्रकट होती है, इस प्रकार वादी वादग्रस्त भूमि की खातेदारी स्वंय के नाम करवाने का विधि अनुसार अधिकारी है।

अब आस पास के एवं भू-मफिया वृति के लोग वादग्रस्त भूमि को जोर जबरन हडपना चाहते है प्रतिवादी सं0-1 लगायत 5 भूमि मुतनाजा के नियंत्रण व उपभोग उपभोग में मजाहमत करने लग गये है, भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने की धमकिया दे रहे है। श्री गोपाल गिरी महाराज की मृत्यु सिविल न्यायालय द्वारा घोषित किये जाने बावजूद एवं चादर दिनांक-02.04.2009 को वादी के डल जाने के बावजूद भी प्रतिवादी सं0-1 लगायत 5 मन्दिर व गोपाल गिरी के शिष्यत्व से एवं भूमि मुतनाजा के कब्जे काश्तसे कोई ताल्लुक कभी नहीं रहा है प्रतिवादी सं0-1 लगायत 5 ने पिछले 10-15 दिन से वादी के भूमि मुतनाजा पर कब्जे, नियंत्रण, रख रखाव, अधिपत्य में मजाहमत पैदा करने पर एवं प्रतिवादी सं0-6 द्वारा नामान्तकरण वादी के पक्ष में एक वर्ष से नीं खोलने से दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया है कि वादी को भूमि मुतनाजा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावेतथा वर्तमान खातेदारी इन्द्राज हजफ फरमाया जाकर वादी के नाम खातेदारी दर्ज फरमाई जावे। प्रतिवादी सं0-1 लगायत 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह भूमि मुतनाजा में वादी के कब्जे काश्त में कोई मजाहमत पैदा नहीं करे, वादी को जबरन बेदखल नहीं करे। वादी के उपयोग उपभोग में कोई व्यवधान पैदा नहीं करे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये। प्रतिवादी सं0-1लगायत 5 की तरफ से दिनांक-25.02.2014 को श्री अशोक कुमार व्यास अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक-25.06.2014 को इकबाली जवाब दावा पेश हुआ प्रतिवादी सं0-6 के विरूद्ध दिनांक-24.02.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। साक्ष्य वादी में 'शपथ पत्र पी.डब्लू-1 महन्त प्रेम गिरी, पी.डब्लू-2 जगदीश प्रसाद जाट, पी.डब्लू-3 रमेश सैनी, पी.डब्लू-4 ओमप्रकाश गुप्ता, पी.डब्लू-5 राहुलशर्मा, पी.डब्लू-6 लूणसिंह, पी.

...यक कलक्टर एव
...क मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रेक
जिला-जयपुर (राज.)

डब्लू-7 चरणसिंह, पी.डब्लू-8 सुरेश सैनी, पी.डब्लू-9 बिहारीलाल शर्मा के पेश हुए जो संलग्न पत्रावली है दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी सं0-2068-2071 प्रदर्श-1, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श-2, फोटो प्रति प्रा-पत्र दिनांक-15.01.2014 प्रदर्श-3, फोटो प्रति शपथ पत्र दिनांक-27.02.2013 प्रदर्श-4, फोटो प्रति निर्णय दिनांक-14.05.2012 मा.सिविल न्यायाधीश (व ख)शाहपुरा प्रदर्श-5, फोटोप्रति डिक्री दिनाक-14.05.2012 मा.सिविल न्यायाधीश (व.ख)शाहपुरा प्रदर्श-6, फोटो प्रति वसीयत दिनांक-12.02.2002 प्रदर्श-7, फोटो प्रति महन्ताई अधिकार पत्र प्रदर्श-8, फोटो प्रति मुख्त्यारनामा प्रदर्श-9, पेश किये गये जो संलग्न पत्रावली है।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनकर पूर्वमें इसी न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक-30.11.2015 से वादी के वाद को खारीज फरमा दिया जिससे पीड़ित होकर वादी ने इस न्यायालय के निर्णय एवं डिकरी दिनांक-30.11.2015 के खिलाफ राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के यहां अपील दायर की जो बाद सुनवाई स्वीकार की जाकर मामला इस न्यायालय को रिमाण्ड फरमाया गया जिसमें अपीलेट कोर्ट ने निम्न प्रकार निर्देशित किया कि वह प्रश्नागत आराजी से संबंधित साबिक रिकार्ड एवं अन्य साक्ष्य अधिनिस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। बाद रिमाण्ड पत्रावली प्राप्त होने पर दिनांक-08.08.2016 को पत्रावली बरामद की तथा वादी की अदालती नोटीस जारी करने की आज्ञा दी गयी प्रतिवादी सं0-1 लगायत 5 उपस्थित आये। दिनांक-08.12.2016 को दस्तावेजात (1) सत्य प्रतिलिपि नामान्तकरण सं0-132 (2) सत्यप्रति जमाबन्दी सैटलमेन्ट विभाग सम्वत-2008 से 2027 अमरसर (3) सत्यप्रति जमाबन्दी सम्वत-2029 से 2032 ग्राम अमरसर (4) सत्यप्रति खतौनी जमाबन्दी सं0-2039 ग्राम अमरसर (5) सत्यप्रति पर्चानं0-311 ग्राम अमरसर, (6) सत्यप्रति खतौनी जमाबन्दी 2039 ग्राम अमरसर (7) सत्यप्रति जमाबन्दी सं0-2048 से 2051 ग्राम पठानो काबास (8) सत्यप्रति जमाबन्दी सम्वत-2044 से 2047 पठानो का बास (9) सत्यप्रतिलिपिमिलान क्षैत्रफल ग्राम अमरसर, (10) सत्यप्रति जमाबन्दी सं0-2056 से 2059 ग्राम पठानो का बास (11) सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी सं0-2052 से 2055 ग्राम पठानो का बास (12) सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत-2060 से 2063 ग्राम पठानो का

...क कलक्टर एव
... मजिस्ट्रेट(फास्ट ट्रक
...जला-जयपुर राज

Scanned by CamScanner

बास पेश किये है। तथा साक्ष्य में शपथ पत्र [illegible]

होशियार सिंह, मातादीन पारीक, श्याम सुन्दर व [illegible] के पेश किये।

दिनांक-23.03.2017 को पत्रावली के [illegible] प्रस्तुत

कियेगये दस्तावेजात पर प्रदर्श डाले गये तथा दिनांक [illegible] को

तहसील-शाहपुरा ने जवाब पेश किया जिसे दिनांक [illegible] को रिकार्ड

पर लिया गया वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श [illegible]

गया है तथा वादी की तरफ से तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत जवाब को

रिकार्ड पर नहीं लिये जाने बाबत आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है [illegible]

वादी द्वारा कथन किया गया प्रतिवादी सं0 6 [illegible] तहसीलदार शाहपुरा

के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है [illegible]

ना तो एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया

गया है एवं ना ही वो प्रकरण में उपस्थित आ रहे है [illegible]

द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे को रिकार्ड पर ना लिया जावे [illegible]

बिना एक पक्षीय कार्यवाही अपास्त किये जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जा

सकता है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं0 6 द्वारा प्रस्तुत [illegible]

लगाये जाने का आदेश दिया जाता है। [illegible] वादी [illegible] पत्रावली

पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया पूर्ववर्ती [illegible] दिनांक [illegible]

11.2015 में इस न्यायालय ने यह आंशका जताते हुये कि यह भूमि पूर्व

काल में मन्दिर की भी हो सकती है के आधार पर वाद को खारिज फरमा

दिया है इस कारण इस बिन्दू पर सर्वप्रथम विचार करना आवश्यक है [illegible]

वादी की तरफ से प्रस्तुत नामान्तकरण सं0-132 [illegible]

नं0-1012/2 मिन भूमि का शांतनन्द गीरी चेला ओमकारेश्वर गीरी [illegible]

के नाम से गैरखातेदारी का नियमन दिनांक-16.02.1967 [illegible]

दिनांक-13.06.71 को स्वीकार किया गया है मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से

प्रश्नगत भूमि हाल खसरा नं0-1536 लगायत 1541, 1546, 1547 कुल

किता-8 रकबा 10.66 है0 की खातेदारी खतौनी संवत 2035 में [illegible]

गीरी महन्त विज्यानन्द चेला ओमकारेश्वर जी गिरी [illegible] के नाम दर्ज है

इस प्रकार मूलत भूमि सिवाय चक दर्ज होने से पूर्व काल में भूमि मंदिर की

होने जैसी आंशका निरर्थक साबित हो जाती है वादी प्रदर्श [illegible] में दिनांक

[illegible]

कलक्टर एवं

मजिस्ट्रेट [illegible]

[illegible]

सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड -शाहपुरा दिनांक-14.05.2012 प्रस्तुत किया है जिसमें गोपाल गिरी महन्त विज्यानन्द चेला ओमकारेश्वर को विधिक रूप से मृत्यु की उद्घोषणा की गयी है प्रदर्श-7 वसीयत पत्र व मुख्त्यारनामा प्रदर्श-9 प्रस्तुत हुये है प्रदर्श-9 में इस आशय का उल्लेख है कि उसे प्रदर्श-7 का अभिन्न अंग समझा जावे प्रदर्श-9 में प्रश्नगत आराजीयात का गोपाल गिरी के स्वंय की निजी सम्पति होना उल्लेखित किया है जिसका पुष्टि खतौनी (जमाबन्दी) सम्वत-2039 से भी होती है तथा उसके सही होने की अवधारणा लिया जाना उचित प्रतीत होता है वादी ने स्वंय के बयान व गवाहान के बयान से उसके द्वारा अपने समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्य को पूर्ण रूपेण साबित किया है प्रश्नगतआराजीयात की जमाबन्दी सम्वत-2044 से 2047, 2048 से 2051, 2052 से 2055, 2056 से 2059, 2060 से 2063, ग्राम पठानो का बास तहसील-शाहपुरा, निरन्तर गोपाल गिरी महन्त विज्यानन्द चेला ओमकारेश्वर के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है उपरोक्त समस्त विवेचन से तथा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से वादी अपना वाद साबित करने में सफल रहा है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर वादी को हाल आराजी खसरा नं0-1536 लगायत 1541, 1546, 1547, कुल किता-8 रकबा 10.66 है0 वाकै ग्राम पठानो का बास, पटवार हल्का अमरसर, तहसील-शाहपुरा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे तथा प्रतिवादीगण को सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रश्नगत आराजी खसरा नं0-1536 लगायत 1541, 1546, 1547, कुल किता-8 रकबा 10.66 है0 वाकै ग्राम पठानो का बास, पटवार हल्का अमरसर, तहसील-शाहपुरा वादी के कब्जेकाश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नहीं करे, तदानुसार पर्चा डिक्री बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

Scanned by CamScanner